



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 2010/श्रावण 16, 1932

No. 200]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 2010/SHRAVANA 16, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2010

सं. एल-1/50/2010-कैविआ.—प्रस्तावना :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 (2)(द) के साथ पठित धारा 61 के अधीन केंद्रीय आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 विनिर्दिष्ट किए हैं। विनियम 7 के खंड (2) का तीसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि "आयोग किसी स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ द्वारा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा तथा इस दशा में, आयोग द्वारा ऐसे अभिकरण या विशेषज्ञ द्वारा यथा संवीक्षित पूंजी लागत पर हाइड्रो उत्पादन केंद्र के टैरिफ का अवधारण करते समय विचार किया जाएगा"। केंद्रीय आयोग अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों द्वारा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करता है।

2. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना :

- (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों या संस्थाओं या विशेषज्ञों द्वारा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा करने तथा अन्य संबंधित विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है।
- (2) ये मार्गदर्शक सिद्धांत अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या ऐसी उत्पादन कंपनियों, जिनके पास एक से अधिक राज्य में ऊर्जा के विक्रय के लिए एक सम्मिश्रित स्कीम हो, ऐसी हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की परियोजना पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए लागू होंगे जिन्हें विकसित किया जा रहा है या ऐसी उत्पादन कंपनियों द्वारा निष्पादित किया गया हो तथा ऐसी परियोजनाओं के टैरिफ का अवधारण आयोग द्वारा किया जाना है।
- (3) ये मार्गदर्शक सिद्धांत राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. मार्गदर्शक सिद्धांतों के उद्देश्य : ये मार्गदर्शक सिद्धांत (क) हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा के मामले में केंद्रीय आयोग, उत्पादन कंपनियों तथा अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व को विहित करने; (ख) हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की उत्पादन कंपनियों तथा अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान करने; (ग) परियोजना पूंजी लागत की संवीक्षा का विस्तार करने, तथा किए जाने वाले कारक तथा परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों द्वारा मध्यक्षेप का प्रक्रम; और (घ) टैरिफ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विहित करने के लिए हैं।

का प्रक्रम; और (घ) टैरिफ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विहित करने के लिए हैं।

4. परिभाषाएं : इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(1) "अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ" से ऐसे अभिकरण या विशेषज्ञ अभिप्रेत तथा सम्मिलित है जैसा केंद्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर उत्पादन कंपनियों की हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए;

(2) "उत्पादन कंपनी" से केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उत्पादन कंपनियां और अन्य उत्पादन कंपनियां अभिप्रेत हैं जिसके पास एक से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन तथा प्रदाय के लिए एक सम्मिश्रित स्कीम है तथा जिन्होंने हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं को विकसित किया है या विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।

(3) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में परिभाषित किया गया है, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम या उक्त विनियम में है।

उत्पादन कंपनी द्वारा अभिहित अभिकरण/विशेषज्ञ का चयन

(1) आयोग हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों के एक पैनल को अपनी वेबसाइट पर रखेगा :

परंतु यह कि आयोग अपने विवेकानुसार लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों का नाम सम्मिलित कर सकेगा या हटा सकेगा। इन विनियमों के पैरा 8(9) में यथा निर्दिष्ट गोपनीयता करार का भंग किया जाना ऐसा एक कारण हो सकेगा।

(2) उत्पादन कंपनी पहले ही विकसित या उसके द्वारा विकसित की जा रही हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित पैनल से किसी एक अभिहित स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ का चयन कर सकेगी।

(3) उत्पादन कंपनी दो या अधिक अभिहित अभिकरणों/विशेषज्ञों से बोली मंगा सकेगी तथा पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् परियोजना की पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए न्यूनतम कोटेशन वाले अभिकरण/विशेषज्ञ का चयन कर सकेगी :

परंतु यह कि जहां बोली आमंत्रित करने वाली सूचना के प्रत्युत्तर में एकल बोली प्राप्त होती है वहां उत्पादन कंपनी आयोग को पूर्व सूचना देते हुए, ऐसे अभिहित अभिकरण या विशेषज्ञ का चयन कर सकेगी।

(4) चयन किए गए अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ का ऐसी उत्पादन में कोई हित नहीं होना चाहिए जिस कंपनी की पूंजी लागत की संवीक्षा करने के लिए उसका चयन किया गया है।

स्पष्टीकरण :

- (i) बोलियां आमंत्रित करने के पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के दौरान चयन किए गए अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ के साथ उत्पादन कंपनी का कोई संगम या वित्तीय/वाणिज्यिक संव्यवहार को हित के विरोध के रूप में माना जाएगा।
- (ii) उत्पादन कंपनी द्वारा अपनी पश्चातवर्ती परियोजनाओं के लिए उसी अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ को पूंजी लागत की संवीक्षा के कार्य के समनुदेशन को हित का विरोध नहीं माना जाएगा।

(5) उत्पादन कंपनी आयोग को पूर्व सूचना देते हुए, निम्नलिखित दशाओं में दूसरे अभिहित अभिकरण/विशेषज्ञ का भी चयन कर सकेगी :

- (क) उत्पादन कंपनी से हुए न माने जाने वाले कारणों के लिए नियुक्त अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा पूंजी लागत का अभिकलन करने में असम्यक् विलंब;
- (ख) नियुक्त अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ पूंजी लागत की संवीक्षा करने से इंकार करता है;
- (ग) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 7(4) में यथा अनुबद्ध विभिन्न प्रक्रमों पर ।

(6) उत्पादन कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 7.4 में यथा परिकल्पित पूंजी लागत की संवीक्षा आरंभ करने के लिए विनिधान अनुमोदन के युक्तियुक्त समय के भीतर अधिमानतः अग्रिम में अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ का चयन किया गया है।

6. परामर्शी प्रभार संबंधी अधिकतम सीमा

(1) परियोजना के विभिन्न प्रक्रमों में लगे एक या उससे अधिक अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा पूंजी लागत की संवीक्षा करने के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा संदेय परामर्शी प्रभार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना (आईडीसी तथा वित्तीय प्रभारों को छोड़कर) की पूंजी लागत के 0.02% की अधिकतम सीमा से अनधिक या 2 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, होंगे।

(2) परियोजना के निष्पादन के दौरान हुई भौगोलिक घटनाओं के कारण विलंब की दशा में, अनुसूचित से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की विस्तारित अवधि के तत्स्थानी अतिरिक्त परामर्शी प्रभार आनुपातिक आधार पर संदेय होंगे।

7. अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों की जिम्मेदारी तथा उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ निम्नलिखित पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, परियोजना की पूंजी लागत का आंकलन करेगा :

- (क) हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम के लक्षण जिसमें स्थान विनिर्दिष्ट लक्षण भी हैं;
- (ख) परियोजना स्थल का अवस्थान;
- (ग) परियोजना स्थल का भू-विज्ञान;
- (घ) प्रतिरक्षा पहलू;
- (ङ) जल विज्ञान;
- (च) नदी घाटी का सर्वोत्तम विकास;
- (छ) स्थितिज ऊर्जा अध्ययन;
- (ज) डाम तथा अन्य सिविल संकर्म का बेहतर अवस्थान जिसमें विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया हो;
- (झ) उपलब्ध तकनीकी प्ररूप तथा लगाई जाने वाली संनिर्माण मशीनरी;
- (ञ) डाम की ऊंचाई को अनुकूलतम करने के लिए अध्ययन, डाम डिजाइन तथा सुरक्षा की जांच के लिए डिजाइन परिकलन;
- (ट) सिविल डिजाइन पहलू; अंतर-राज्यिक तथा अंतर-राष्ट्रीय पहलू;
- (ठ) पर्यावरणीय तथा वन पहलू;
- (ड) भारत सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी निदेशों के आधार पर पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन पहलू;
- (ढ) सिविल संकर्म तथा इलैक्ट्रो-मैकेनिकल संकर्म के लिए लागत प्राक्कलन;
- (ण) निधियन का स्रोत तथा निधि प्रवाह;
- (त) चालू होने की तारीख;
- (थ) भौगोलिक घटनाएं;
- (द) अधिक समय तथा अधिक लागत, यदि कोई हो;
- (ध) सीईए/सीडब्ल्यूसी की उपरोक्त 'क' से 'द' में निर्दिष्ट पहलू पर उसकी सहमति में कोई सिफारिश/संप्रेक्षण;
- (न) पीआईबी/सीसीईए द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित पूंजी लागत तथा इसमें कोई संप्रेक्षण/निदेश, यदि लागू हो।

(2) उपरोक्त कारकों पर अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा केवल लागत आंकलन के एकमात्र प्रयोजन के साथ विचार किया जाएगा। परियोजना की डिजाइन तथा तकनीकी पहलूओं का अंतिम उत्तरदायित्व उत्पादन कंपनी का होगा।

(3) उत्पादन कंपनी की "मानी जा सकने वाली" तथा "न मानी जा सकने वाली" परियोजना की अधिक लागत पीईआरटी/सीपीएम सारणी के अनुसार अधिक समय तथा लागत के कारणों के साथ विभिन्न प्रक्रमों को पूरा करने की अनुसूचियों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् पृथक् रूप से उपदर्शित की जाएगी।

(4) अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ से उत्पादन कंपनी की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को परियोजना की पूंजी लागत के बारे में उत्पादन कंपनी द्वारा डीपीआर उपलब्ध कराने के तीन मास के भीतर आयोग को प्रति सहित अपना आंकलन तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी :

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्य के आकार, क्षमता या परिधि में किसी भी परिवर्तन की दशा में, अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ ऐसी सूचना की प्राप्ति के दो मास के भीतर अपना आंकलन/सिफारिशें प्रस्तुत करेगा तथा इस संबंध में ब्यौरों को पूरा करेगा :

परंतु यह और कि चालू परियोजनाओं की दशा में, अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात् डीपीआर के साथ परियोजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के 3 मास के भीतर अपना आंकलन/सिफारिश प्रस्तुत करेंगे :

परंतु यह कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण या भू-गर्भिक परिवर्तनों के कारण ऐसी घटनाओं की सूचना के दो मास के भीतर जिसमें डिजाइन और प्रारंभ होने की अनुसूची में पारिणामिक परिवर्तन भी हैं, डिजाइन में परिवर्तन और प्रारंभ होने के पारिणामिक परिवर्तनों की दशा में;

(5) अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा परियोजना के निष्पादन की मानीटरिंग लागत आंकलन के प्रयोजन के लिए सीमित होगी।

(6) परियोजना पूंजी लागत की संवीक्षा के दौरान अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन कंपनी के साथ बांटी गई कोई वाणिज्यिक या संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा या उत्पादन कंपनी के हित को हानि पहुंचाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(7) अभिहित स्वतंत्र अभिकरणों/विशेषज्ञों से संबंधित हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र की टैरिफ याचिका की सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष उपसंजात रहने तथा परियोजना लागत की युक्तियुक्तता के बारे में आयोग को आवश्यक सहायता देने की अपेक्षा की जाएगी।

8. उत्पादन कंपनी की जिम्मेदारी तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

- (1) उत्पादन कंपनी आवश्यक स्थल सर्वेक्षण तथा अन्वेषणों को पूरा करने के पश्चात्, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति देने के पश्चात्, यदि लागू हो, उसकी एक प्रति तथा शाप्ट प्रति अभिहित अभिकरण/विशेषज्ञ तथा आयोग को देगी। परियोजना के कार्य या डिजाइन में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन की सूचना आवश्यक न्यायोचित तथा सुसंगत ब्यौरों के साथ अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ तथा आयोग को दी जाएगी। उत्पादन कंपनी को डीपीआर को तब पुनरीक्षित करना चाहिए यदि परियोजना के अवस्थान, डिजाइन तथा कार्य की परिधि में सारवान परिवर्तन हो।
- (2) डीपीआर को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित नवीनतम "हाइड्रो-इलेक्ट्रिक स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की विरचना, उनकी स्वीकृति तथा सहमति की समीक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत" तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित "सिंचाई तथा बहुप्रयोज्य स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" तथा नवीनतम पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों पर सम्यक् रूप से विचार करके तैयार किया जाएगा।
- (3) डीपीआर में आवश्यक इंपुट तथा कानूनी निर्बंधन, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के प्रमुख लक्षण, कार्यपालक सारांश, भौगोलिक पहलू, प्रतिरक्षा पहलू, जल विज्ञान, नदी घाटी के बेहतर अनुकूलतम विकास के लिए न्यायोचित, ऊर्जा संभावी अध्ययन, डाम की अवस्थिति का अनुकूलन तथा विचार किए गए विभिन्न विकल्पों का ब्यौरे वाले अन्य सिविल संकर्म, डाम की ऊंचाई को अनुकूलन करने के लिए अध्ययन, डाम डिजाइन तथा सुरक्षा की जांच करने के लिए विस्तृत डिजाइन परिकलन, सिविल डिजाइन पहलू, अंतर-राज्यिक तथा अंतरराष्ट्रीय पहलू, सिविल संकर्म तथा इलेक्ट्रो-मकैनिकल संकर्म के लिए लागत प्राक्कलन, निधियन का स्रोत, आईडीसी, निधि प्रवाह तथा समुचित आयोग के सुसंगत विनियमों के अनुसार टैरिफ संगणनाएं को सम्मिलित करने वाली टाइ-अप जांच सूची सम्मिलित होगी।
- (4) इलेक्ट्रिक तथा मकैनिकल लागत प्राक्कलन समय-समय यथा उपांतरित, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित "हाइड्रो-इलेक्ट्रिक स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की विरचना उनकी स्वीकृति तथा सहमति के लिए समीक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों" के नवीनतम संस्करण पर विचार करते हुए किया जाएगा तथा सिविल लागत प्राक्कलन समय-समय पर यथा उपांतरित केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित "नदी घाटी स्कीमों के लिए प्राक्कलनों की तैयारी हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत" के नवीनतम संस्करण पर सम्यक् रूप से विचार करके किया जाएगा। मार्गदर्शक सिद्धांतों से अंतर को ब्यौरों सहित स्पष्ट निबंधनों में न्यायानुमत/स्पष्ट किया जाएगा।
- (5) डीपीआर में विभिन्न निकासियों, भूमि अर्जन तथा पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन योजना आदि के अनुमोदन की प्रास्थिति संबंधी जानकारी भी सम्मिलित होगी।

(6) उत्पादन कंपनी विनिधान विनिश्चय, अर्थात् शून्य तारीख से आरंभ होने वाली परियोजना को पूरा करने की अनुसूची, परियोजना के वित्तीय समापन में लिया जाने वाला समय तथा पूरा होने की अनुसूचित तारीख, जो जटिल पाथ तथा माइलस्टोन को पहचान करने वाले पीईआरटी/सीपीएम द्वारा समर्थित हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी।

(7) अभिहित स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा उद्भूत प्रश्नों का उत्तर उत्पादन कंपनी द्वारा शीघ्र ही आयोग को सूचना देते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर दिया जाएगा।

(8) प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, संकर्म के विभिन्न पैकेजों की लागत में परिवर्तन के कारण डीपीआर को प्रस्तुत करने के पश्चात् परियोजना को पूरा करने तथा पूंजी लागत के प्राक्कलन की अनुसूची में किसी भी परिवर्तन, प्रस्तावित हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम की डिजाइन विशेषताओं या इसके आकार तथा क्षमता, अर्थात् विकास का प्रकार (भंडारण/आरओआर), डाम के प्रकार तथा ऊंचाई, वर्तमान भंडारण, डिजाइन शीर्ष, संस्थापित क्षमता, यूनिटों की संख्या, टर्बाइन का प्रकार, ऊर्जा गृह का प्रकार, पारेषण वोल्टता आदि, जिससे परियोजना पूंजी लागत में प्रभाव पड़ता हो, में परिवर्तन को शीघ्र ही पूर्व प्राक्कलन की तुलना में, न्यायोचित के साथ, पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों के ब्यौरों सहित तथा युक्तियुक्त समय के भीतर पर्याप्त स्पष्टीकरणों के साथ स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ की जानकारी में लाया जाएगा।

(9) उत्पादन कंपनी निविदा जांच तथा प्रमुख पैकेजों को स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ को क्रिटिकल पाथ संबंधी प्रमुख पैकेजों और पैकेजों को देने वाले पत्र की प्रतियां तथा कोई अन्य जानकारी, यदि स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा अपेक्षित हो, देगा। परियोजना की पूंजी लागत संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हुए भी, की संवीक्षा के लिए कोई आवश्यक जानकारी सिवाय जहां ऐसी जानकारी से देश की सुरक्षा तथा अन्य राष्ट्रों के साथ भिन्ता में सारवान् रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ को दी जानी चाहिए। स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ अपने तथा उत्पादन कंपनी के बीच किए गए गोपनीय करार से आबद्ध होंगे।

(10) उत्पादन कंपनी से संबंधित परियोजना के टैरिफ का अवधारण करने के लिए याचिका फाइल करते समय प्राप्त सिफारिशों के साथ स्वतंत्र अभिकरण/विशेषज्ञ द्वारा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना की पूंजी लागत का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(11) आयोग द्वारा अभिहित स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ द्वारा यथा संवीक्षित पूंजी लागत पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार संबंधित हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र के टैरिफ का अवधारण करते समय विचार किया जाएगा।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10/असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2010

No. L-1/50/2010-CERC.—Introduction :

The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 has been specified by the Central Commission under Section 61 read with Section 178(2)(s) of the Electricity Act, 2003. Third proviso to clause(2) of Regulation 7 provides that "the Commission may issue guidelines for vetting of capital cost of hydro-electric projects by an independent agency or expert and in that event the capital cost as vetted by such agency or expert may be considered by the Commission while determining the tariff of hydro generating station". The Central Commission hereby issues the guidelines for vetting of capital cost of hydro electric projects by Designated Independent Agencies/Experts.

2. Title and Applicability:

(1) These Guidelines shall be called Guidelines for vetting of the capital cost of hydro electric projects by Designated Independent Agencies or Institutions or Experts and other related matters.

(2) These Guidelines shall apply to the Designated Independent Agencies/Experts, Central Generating Companies or the Generating Companies having a composite scheme for sale of power in more than one State for vetting of project Capital cost of such hydro-electric projects which

are being developed or have been executed by such generating companies and the tariff of such projects are to be determined by the Commission.

(3) These guidelines shall come into effect from the date of their notification in the Official Gazette.

3. Objectives of the Guidelines: These guidelines seek to (a) describe the roles and responsibilities of the Central Commission, generating companies and Designated Independent Agencies/ Experts in the matter of vetting of capital cost of the hydro electric projects; (b) information to be exchanged between the generating companies of hydro electric projects and the Designated Independent Agencies/Experts, (c) Scope of vetting of project capital cost, factors to be considered and stages of intervention by the Designated Independent Agencies/ Experts during the execution of the project, and (d) procedure to be followed for vetting of the capital cost of hydro electric projects for the purpose of determination of tariff.

4. Definitions: For the purpose of these guidelines, unless the context otherwise requires:

(1) "Designated Independent Agencies/ Experts" shall mean and include such agencies and experts as may be notified by the Central Commission from time to time for the purpose of vetting of Capital cost of Hydro-Electric projects of generating companies;

(2) "Generating Company" means generating companies owned or controlled by Central Government and other generating companies which have a composite scheme for generation and supply of electricity in more than one State and which have developed or are in the process of developing hydro electric projects;

(3) The words and expressions used and not defined in these guidelines but defined in the Electricity Act, 2003 or the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 shall have the meaning as assigned to them in the Act or the said regulations.

5. Selection of the designated Agency/Experts by the Generating Company

(1) The Commission shall publish on its website a panel of Designated Independent Agencies/Experts for vetting the capital cost of the hydro electric projects:

Provided that the Commission may at its discretion add or delete the names of Designated Independent Agencies/Experts for the reasons to be recorded in writing. Breach of confidentiality agreement as referred to in para 8(9) of these guidelines would be one of such reasons.

(2) A generating company may choose one Designated Independent Agency or Expert from the panel notified by the Commission from time to time for vetting the capital cost of hydro-electric project already developed or in the process of being developed by it.

(3) The generating company shall seek the bids from the two or more designated agencies/experts and shall select the agency/expert with the lowest quotation for vetting the capital cost of the project after following a transparent process:

Provided that where a single bid is received in response to notice inviting the bids, the generating company may select such designated agency or expert with prior intimation to the Commission.

(4) The selected Designated Independent Agency/Expert should not have any conflict of interest with the generating company which has selected it for vetting of capital cost.

Explanations:

(i) Any form of association or financial/commercial dealings of the generating company with the selected Designated Independent Agency/Expert during the period of two years preceding invitation of bids shall be construed as conflict of interest.

(ii) Assignment of the work of vetting of capital cost to the same Designated Independent Agency/Expert by the generating company for its subsequent project(s) shall not constitute conflict of interest.

(5) The generating company may also select another designated agency/expert in the following circumstances under prior intimation to the Commission:

(a) Undue delay in appraising the capital cost by the appointed Designated Independent Agency/Expert for the reasons not attributed to generating company;

(b) The appointed Designated Independent Agency /Expert refuses to carry out the vetting of capital cost;

(c) At different stages as stipulated at para 7(4) of these guidelines.

(6) The generating company should ensure that the Designated Independent Agency/Expert is selected well in advance, preferably within a reasonable time of investment approval in order to undertake the vetting of the capital cost as envisaged in para 7.4 of these guidelines.

6. Ceiling on consultancy charges:

(1) The consultancy charges payable by the generating company for vetting the capital cost by one or more than one Designated Independent Agency/Expert engaged in different stages of the project shall not exceed a ceiling of 0.02% of the capital cost of the hydro-electric project (excluding IDC and financing charges) or Rs. 2 Crore whichever is less.

(2) In the event of delay due to geological surprises encountered during execution of the project, an additional consultancy charge may be payable on pro rata basis corresponding to the extended period of the date of commercial operation from the schedule.

7. Responsibilities of and the Procedure to be followed by the Designated Independent Agencies /Experts

(1) The Independent Agency /Expert shall carry out appraisal of the capital cost of the project in due consideration of the following:

- (a) Features of the Hydro Electric Scheme including site specific features,
- (b) Location of the project site,
- (c) Geology of the project site,
- (d) Defence aspects,
- (e) Hydrology,
- (f) Optimum development of the river basin,
- (g) power potential studies,
- (h) Optimum location of dam and other civil works detailing various alternatives considered,
- (i) Type of technologies available and the Construction machinery to be deployed,

- (j) Studies for optimization of dam height, detailed design calculations for checking dam design & safety,
- (k) Civil design aspects, inter-state and international aspects,
- (l) Environmental & Forest aspects,
- (m) Rehabilitation & Resettlement aspects in line with govt directives from time to time,
- (n) Cost estimates for civil works and electro-mechanical works,
- (o) Source of funding and fund flow,
- (p) Schedule of Commissioning,
- (q) Geological surprises,
- (r) Time and cost over-run, if any
- (s) Any recommendation/observation of CEA/CWC in their concurrence on any of the aspects referred to at 'a' to 'r' above,
- (t) The revised cost estimate approved by PIB/CCEA & any observation / direction made therein, if applicable.

(2) The above factors shall be considered by the Designated Independent Agency/Expert with the sole purpose of the cost appraisal only. The ultimate responsibility of design and technical aspects of the project shall rest with the generating company.

(3) The cost overrun of the project 'attributable' and 'not attributable' to the generating company shall be indicated separately after due consideration of schedules of completion of various milestones as per PERT/CPM Chart along with reasons for time and cost overrun.

(4) The Designated Independent Agency/Expert shall be required to submit its appraisal and recommendations about the capital cost of the project as on COD to the generating company, with a copy to the Commission within 3 months of making available the DPR by the Generating Company.

Provided that in case of any change in the configuration, capacity or scope of works after submission of DPR by the generating company, the Designated Independent Agency/Expert shall submit its appraisal/recommendations within two months of receiving such intimation and complete details in this regard:

Provided further that in case of on-going projects, the Designated Independent Agency/Expert shall submit its appraisal/recommendation within 3 months of making available to it the complete information of the project along with DPR after notification of these guidelines:

Provided also that in case of changes in the designs and consequential effect on schedule of commissioning due to natural calamities like floods, earth quake etc. or due to geological surprises within two months of such intimation of such occurrence including complete details of consequential changes in the design and schedule of commissioning.

(5) Monitoring of the execution of the project by the Designated Independent Agency/Expert shall be limited to the purpose of cost appraisal.

(6) Any commercial or sensitive information gathered by the Designated Independent Agencies /Experts from the generating company during the course of vetting of project capital cost shall not be made public or used to the detriment of the interest of the generating company.

(7) The Designated Independent Agencies /Experts shall be required to appear before the Commission during the hearing of the tariff petition of the concerned hydro electric generating station and render necessary assistance to the Commission with regard to the reasonableness of the project cost.

8. Responsibilities of and Procedure to be followed by the Generating Company

(1) The generating company after completing essential site survey and investigations shall prepare a detailed project report (DPR) of the hydro electric project and, after grant of concurrence of Central Electricity Authority, if applicable, submit a hard copy and a soft copy of the same to the designated agency/expert and to the Commission. Any subsequent changes in design and scope of work of the project shall be intimated to the Designated Independent Agency/Expert and to the Commission along with necessary justification and relevant details. The generating company should revise the DPR in case there are material changes in the location, design and scope of work of the project.

(2) The DPR should be prepared with due consideration to the latest "Guidelines for Formulation of Detailed Project Reports for Hydro Electric Schemes, their Acceptance and Examination for Concurrence" published by the Central Electricity Authority and "Guidelines for preparation of Detailed Project Report of Irrigation & Multipurpose Schemes" published by the Central Water Commission and the latest practices and technologies.

(3) The DPR shall include a checklist incorporating tie-up of essential inputs and statutory clearances, salient features of the hydro electric project, executive summary, geological aspects, defence aspects, hydrology, justification for the best ultimate development of the river basin, power potential studies, optimization of location of dam and other civil works detailing various alternatives considered, studies for optimization of dam height, detailed design calculations for checking dam design and safety, civil design aspects, inter-State and international aspects, environmental and forest aspects, rehabilitation and resettlement aspects, cost estimates for civil works and electro-mechanical works and source of funding, IDC, fund flow

and tariff calculations as per the relevant regulations of the appropriate Commission.

(4) The electrical and mechanical cost estimates shall be with due consideration to the latest edition of "Guidelines for Formulation of Detailed Project Reports for Hydro Electric Schemes, their Acceptance and Examination for Concurrence" published by the Central Electricity Authority, as modified from time to time and civil cost estimates shall be in due consideration of the latest edition of "Guidelines for preparation of Estimates for River Valley Schemes" published by the Central Water Commission, as modified from time to time. The deviations from the guidelines shall be justified/ explained in clear terms along with details.

(5) The DPR shall also include the information on the status of various clearances, acquisition of land and approval of Rehabilitation and Resettlement plan etc.

(6) The generating Company shall clearly indicate the schedule of completion of the project starting from investment decision i.e. the zero date, time to be taken in the financial closure of the project, and scheduled date of completion supported by PERT/CPM Network identifying the critical path and milestones.

(7) The queries raised by the Designated Independent Agency/Experts, shall be promptly replied to by the generating company within a reasonable time under intimation to the Commission.

(8) Any change in the schedule of completion and estimate of the capital cost of the project after the submission of DPR due to changes in the cost of various packages of works as a result of competitive bidding process, changes in the design features of the proposed hydroelectric scheme or it's

configuration and capacity viz. type of development (storage/ ROR), type and height of dam, live storage, design head, installed capacity, number of units, type of turbine, type of power house, transmission voltage etc, having implication on the project capital cost shall be promptly brought to the notice of the Independent Agency/Experts along with details of the revised cost estimates in comparison to previous estimates, supported by justification and suitable explanations within a reasonable time.

(9) The Generating Company shall furnish to the Independent Agency/Expert copies of the tender enquiry and the letter of Awards of major packages and the packages on the critical path and any other relevant information if required by the Independent Agency/Expert. Any information necessary for the vetting of the capital cost of the project even if sensitive in nature should be furnished to the Independent Agency/Expert except where disclosure of such information has potential of jeopardising the safety and security of the country or friendly relations with other nations. The Independent Agency/Expert shall abide by confidentiality agreement to be entered into between him and the generating company.

(10) The generating company shall be required to submit the appraisal of the capital cost of the hydro electric project by the Independent Agency/Expert along with recommendations received from time to time while filing the petition for determination of tariff of the concerned project.

(11) The capital cost as vetted by the Designated Independent Agency or Expert shall be considered by the Commission while determining the tariff of the concerned hydro electric generating station in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/10/Exty.]